



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2018/भाद्र 14, 1940

No. 335]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018/BHADRA 14, 1940

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

सं. PSB/STAFF/OSR/2018.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 और 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में आगे संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि पर लागू हो जाएंगे।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में विनियमन 6 के उप-विनियमन (2) के लिए, निम्न उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप अधिनियम (1) के अधीन पदों के वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु बैंक की प्रत्येक शाखा को मानदंडों के अनुसार बैंक द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा जिसका बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाएगा”।

डी. एस. ग्रोवर, उप महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./213/18]

**PUNJAB AND SIND BANK****(Head Office)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2018

**No. PSB/STAFF/OSR/2018.**—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the **Punjab & Sind Bank** in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to the **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service Regulations, 1982, namely:—

**2. Short title and Commencement.**—(1) These Regulations may be called the **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2018

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service Regulations, 1982, for sub-regulation (2) of regulation 6, the following sub-regulation shall be substituted, namely:

“(2) For the purpose of categorization of posts under sub-regulation (1) every branch of the Bank shall be classified by the Bank in accordance with criteria to be approved by the **Board** of the Bank.”

D. S. GROVER, Dy. General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./213/18]